

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजा जयपुर

क्रमांक: प.10(न.पा.)(ब.घो.)(कमोन्नत)डीएलबी/23/3041 , दिनांक: 1/8/2023
अधिसूचना

राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 329 सपष्टित धारा 337 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विभागीय अधिसूचना क्रमांक 2428 दिनांक 17/07/2023 के द्वारा निर्धारित मानकों में शिथिलन को दृष्टिगत रखते हुए राज्य सरकार एतद्वारा नगर पालिका चौमू (जिला— जयपुर) को तृतीय श्रेणी नगर पालिका से नगर परिषद में कमोन्नत किया जाता है। यह अधिसूचना तुरन्त प्रभाव से प्रभावशील होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(हरेश कुमार शर्मा)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक: प.10(न.पा.)(ब.घो.)(कमोन्नत)डीएलबी/23/3042-3043 दिनांक: 1/8/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

01. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री / मंत्री महोदय, राजस्थान जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
03. निजी सचिव, अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग, शासन सचिवालय राज. जयपुर को अतिरिक्त पद एवं व्ययगार स्वीकृति हेतु ।
04. निजी सचिव, सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, शासन सचिवालय राज. जयपुर।
05. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ट सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
06. निजी सचिव, आयुक्त, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज. विभाग जयपुर।
07. निदेशक, जनगणना विभाग, झालाना डूंगरी, राज. जयपुर।
08. निदेशक, स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राज. जयपुर।
09. संभारीय आयुक्त जयपुर एवं जिला कलेक्टर जयपुर राजस्थान।
10. मुख्य नगर नियोजक, नगर नियोजन विभाग, राज. जयपुर।
11. निदेशक/अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक राज. राजपत्र में प्रकाशनार्थ एवं 10 प्रतियां उपलब्ध कराये जाने हेतु।
12. वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी निदेशालय को भेजकर निवेदन है कि उक्त नगरीय निकाय में अतिरिक्त पद एवं व्ययभार हेतु वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु नियमानुसार शीध कार्यवाही कराने का श्रम करावे।
13. रागरा अधिकारीगण एवं अनुभाग, निदेशालय स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
14. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, रागरा राजस्थान।
15. आयुक्त / अधिकारी आयुक्त निकाय चौगू जिला जयपुर को भेजकर लेख है कि अधिकारी आतेरेकत पद एवं व्ययभार हेतु वित्त विभाग की पूर्व स्वीकृति प्राप्त होने पर ही प्रगाही/मान्य होगा। अतः वित्तीय सलाहकार निदेशालय को आवश्यक प्रस्ताव भिजवावे ताकि वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त की जा सकें।
16. उप निदेशक (साखियवाली) निदेशालय को मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा बजट घोषणा की अनुपालन में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही हेतु।
17. नॉडल अधिकारी, वेबसाइट, निदेशालय को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
18. सुरक्षित पत्रावली।

115
(राज्य माथुर)
विशिष्ट संयुक्त विधि परामर्शी